सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 136/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :—11.07.2024

GCMS ID—2024/212

1. गोपाल सिंह आ0 बद्री सिंह जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. छोटूसिंह आ0 बद्री जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली।
2. महेन्द्रसिंह आ0 बद्री जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली।
3. रामचन्द्र आ0 बद्री जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली।
4. चान्दकंवर पुत्री बद्री जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली।
5. सुरजकंवर पुत्री बद्री जाति दरोगा निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली।
6. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— महेश नामा

दिनांक :— 28/02/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 59 खसरा संख्या 2278 रकबा 0.3399 हैक्टेयर , खसरा सख्या 3264/2212 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6232 हैक्टेयर वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है, प्रार्थी अपने हिस्से पर भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॅार्ड में प्रार्थी का नाम सहवनवश किशनगोपाल दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पिता बद्री जी थे। तथा बद्री जी के किशनगोपाल नाम कोई पुत्र नहीं था, प्रार्थी का नाम गोपालसिंह है, लेकिन घर में प्रार्थी को बाल्य काल अवस्था में किशनगोपाल के नाम से भी जानते थे एवं पुकारते थे, इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी गोपालसिंह के स्थान पर किशनगोपाल का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

जन आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम किशनगोपाल दर्ज होने कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह है और पहचान के सभी दस्तावेज में भी गोपाल सिंह ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर किशनगोपाल के स्थान पर गोपाल सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.02.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी के अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम किशनगोपाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर गोपालसिंह दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम गोपाल सिंह दर्ज करवाये। भूमिया ग्रांम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने लैण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 59 खसरा संख्या 2278 रकबा 0.3399 हैक्टेयर , खसरा सख्या 3264/2212 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6232 हैक्टेयर वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम किशनगोपाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर गोपालसिंह दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम किशनगोपाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर गोपाल सिंह करने में कोई आपत्ति नहीं होकर पूर्ण सहमति दी है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/421 दिनांक :–17.02.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पंगारा की भूमि खसरा संख्या 2278 व 3264/2212 में दर्ज प्रार्थी का नाम किशनगोपाल पिता बद्री दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/सहखातेदारों को उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज किशनगोपाल के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम गोपालसिंह दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम गोपालसिंह पिता बद्री है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड व बैंक डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पिता बद्री दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम पंगारा के खसरा संख्या 2278 व 3264/2212 में किशनगोपाल पिता बद्री अंकित हो रहा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम पंगारा पटवार मण्डल पंगारा के खाता संख्या 59 के खसरा संख्या 2278 व 3264/2212 में दर्ज किशनगोपाल पुत्र बद्री के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम गोपालसिंह पुत्र बद्री शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 28.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446